2016 का विधेयक संख्यांक 323

[दि एप्रोप्रिएशन (नम्बर 4) बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2016

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर व्यय की गई रकमों को, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:--

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2016 है ।

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कतिपय अधिक व्यय को चुकाने के लिए भारत की संचित निधि में से 7,73,31,04,483 रुपए का दिया जाना ।

2. भारत की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका कुल योग सात अरब, तिहत्तर करोड़, इकतीस लाख, चार हजार, चार सौ तिरासी रुपए होता है, 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत प्रभारों को चुकाने के लिए व्यय की गई रकम को, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक है, पूरा करने के लिए दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी ।

विनियोग ।

3. इस अधिनियम के अधीन भारत की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत समझी गई राशियों के संबंध में यह समझा जाएगा कि वे अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई हैं ।

अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

1	2		3		
अनुदान का संख्यांक	**सेवाएं और प्रयोजन**		**आधिक्य**		
			दत्तमत भाग	**भारित भाग**	**योग**
			रु0	रु0	रु0
20	रक्षा मंत्रालय	राजस्व	35,88,89,749	...	35,88,89,749
21	रक्षा पैंशन	राजस्व	...	74,86,943	74,86,943
23	रक्षा सेवाएं- नौ सेना	राजस्व	1,20,40,30,532	...	1,20,40,30,532
24	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	राजस्व	1,86,72,28,987	...	1,86,72,28,987
25	रक्षा आर्डनेंस कारखाने	राजस्व	4,25,73,40,471	85,94,831	4,26,59,35,302
32	विदेश मंत्रालय	पूंजी	2,95,32,970	...	2,95,32,970
	योग	:	**7,71,70,22,709**	**1,60,81,774**	**7,73,31,04,483**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 115 के साथ पठित उसके अनुच्छेद 114(1) के अनुसरण में पुरःस्थापित किया जा रहा है, यह भारत की संचित निधि में से उन धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए है, जो 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए, रेलों को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए लोक सभा द्वारा किए गए अनुदानों से अधिक उपगत व्यय की पूर्ति के लिए आवश्यक है ।

अरुण जेटली

GMGIPMRND—3759LS(CRC)—07-12-2016.